(6)

1.6

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated. 09.08.2021..........

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **2.813 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 10.00 कि0मी0) **district Almora falls within jurisdiction Badgal Bhatt, Check Talla khola, Kurchon, Patalana, Basar, Dhaili Village (s) in Almora Tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.813**hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure ……………. to annexure……………..

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.:-YES

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.:-YES

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Vandana Singh
District Collector, Almora

(7)

1.6

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.......................... Dated..09.08.2021......

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified **that 2.813 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Provincial Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 10.00 कि0मी0) **district Almora falls within jurisdiction Badgal Bhatt, Check Talla khola, Kurchon, Patalana, Basar, Dhaili Village (s) in Almora Tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **2.813** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure .... to annexure ....

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Badgal Bhatt, Check Talla khola, Kurchon, Patalana, Basar, Dhaili** villages (s) is enclosed as annexure 3.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

(f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Vandana Singh
District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Miss Vandana Singh, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date.09.08.2021..at time.1:00PM..at Almora in which application claiming rights **of Badgal Bhatt, Check Talla khola, Kurchon, Patalana, Basar, Dhaili** measuring **2.813 hac.**for the जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 10.00 कि0मी0) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.
After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

DATE:

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

(9)

परियोजना का विवरणः– जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा।

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 2.813 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा) की दिनांक 07-08-2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सु0 श्री सीमा विश्वकर्मा उपजिलाधिकारीएवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– सु0 श्री सीमा विश्वकर्मा उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष

उप जिला अधिकारी अल्मोड़ा

2– श्री भूपाल विष्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

3– श्री शैलेन्द्र पाण्डे सहायक सहायक समाज कल्याण अधिकारी, , सदस्य/सचिव

4– श्रीमती चम्पा देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कुरचौना सदस्य

चम्पा देवी
चम्पा देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत–15–कुरचौना
वि.ख.–हवालबाग (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.813 है0**, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वनप्रभाग अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

10

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु 2.813 है0**, वन भूमि प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रानीखेत व जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रानीखेत व जनपद अल्मोड़ा

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– बड़गल भट्ट

तहसील व जिला–रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा **के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0** हेतु **2.813 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़गल भट्ट द्वारा दिनांक 08.07.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम बड़गल भट्ट** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

Nandk

नंद किशोर आर्या
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–बड़गलभट्ट
वि0ख0–हवालबाग (अल्मोड़ा)

दिनांक 08.07.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बड़गल भट्ट

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
01	त्रिलोचन भट्ट S/0 हरीदत्त	त्रिलोचन्द्र
02	नवीन चन्द्र भट्ट S/0 किशनानंद भट्ट	नवीन भट्ट
03	कृपाल सिंह नेगी S/0 जीत सिंह नेगी	
04	मोहन चन्द्र भट्ट S/0 रमेश चन्द्र भट्ट	
05	धर्मानंद भट्ट S/0 हरी दत्त	
06	हरीशचन्द्र भट्ट S/0 भोला दत्त	
07	बाला दत्त S/0 भवानी दत्त	
08	गिरीश चन्द्र भट्ट S/0 भवानी दत्त भट्ट	
09	शेखर दत्त भट्ट S/0 नारायण दत्त	
10	हीरा वल्लभ भट्ट S/0 हरी दत्त	
11	लीलाधर भट्ट S/0 रवीमास्तर	
12	गौरी दत्त भट्ट S/0 जमुना दत्त भट्ट	[illegible]

ग्राम प्रधान
Nandk
नंद किशोर आर्या
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–बड़गलभट्ट
वि0ख0–हवालबाग (अल्मोड़ा)

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– ....बसर

तहसील व जिला–~~सोमेश्वर~~ अल्मोड़ा, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 2.813 है0 वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़ाल ...भट..... द्वारा दिनांक 07.09.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बसर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

बीना देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत बसर
पो० ऑ०-दरमाण
विकास खण्ड-हवालबाग
जिला-अल्मोड़ा

दिनांक 07.09.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बसर

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र कुमार	राजेन्द्र कुमार
2	जयकिशन तिवाडी	जयकिशन तिवारी
3	पूरन चन्द्र	
4	महेश चन्द्र	[illegible]
5	उमेश चन्द्र	उमेश चन्द्र
6	Kailash Chandra Tiwari	[illegible]
7	Purna	Purna
8	भवानी दत्त	भवानी दत्त
9	देवीदत्त काण्डपाल	
10	पानदेव [illegible]	[illegible]
11	[illegible]	
	जयकृष्ण	जयकृष्ण
12	लीला देवी	लीला देवी
12	बीना	बीना काण्डपाल
13	दयाल	दयाल चन्द्र
14	जगदीश चन्द्र	जगदीश चन्द्र
15	रश्मि काण्डपाल	[illegible]
16	हरिकिशन काण्डपाल	हरीकिसन
17	दयाल चन्द्र	दयाल चन्द
18	गिरीश तिवाडी	[illegible]
19	शंकर दत्त	शंकर दत्त
20	मोहन राम	मोहन राम
21	पूरन चन्द	पूरन चंद्र
22	पूरन राम	पूरन राम

सरपंच [signature]
वन पंचायत बसर
पो० औ० दरमाण
जिला अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान
बीना देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत बसर
पो० औ० दरमाण
विकास खण्ड हवालबाग
जिला - अल्मोड़ा

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस—ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— ढैली.......

तहसील व जिला—रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के **अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस—ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0** हेतु **2.813 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़गल भट .... द्वारा दिनांक 06.09.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **ढैली** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेमा जोशी

ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान

दिनांक 6-09-20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत.....दैली.......

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
01	गिरीश चन्द्र शर्मा	[illegible]
02	उमेश उमादत्त बहुगुणा	[illegible]
03	बालादत्त बहुगुणा	Bala Dutt
	मोहन चन्द्र तिवारी	मोहन चन्द्र
4	हेमा तिवारी	tiwari
5	माधराम	माधराम
6	दिनेश चन्द्र जोशी	दिनेश जोशी
7	किशन राम	किशन राम
	विशन राम	विशन राम
	धनि राम	धनि राम
	दीवान राम	दिवान राम
	हरीश राम	हरीश राम
	ललित मोहन जोशी	[illegible]
	गिरीश तिवारी	Girish
	लक्ष्मी चन्द्र	[illegible]
	मदन मोहन जोशी	पार्वती देवी
	पिताम्बर जोशी	पीताम्बर
	गिरीश जोशी	[illegible]
		हेमा जोशी
	लीलाधर जोशी	लीलाधर
	आशा देवी प/० गंगा दत्त	आशा देवी
	प्रेमा देवी प/० प्रेम बल्लभ	प्रेमा देवी
	[illegible] जोशी	[illegible]
	पद्मा किशन जोशी	[illegible] किशन
	माधवानन्द जोशी	माधवानन्द
	रमेश चन्द्र जोशी	रमेश चन्द्र
	पंकज जोशी	[illegible]
	राजेन्द्र जोशी	Rajendra

हेमा जोशी

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत- दैली

वि.ख.-हवालबाग (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस—ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— कुरचौन

तहसील व जिला—रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस—ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0** हेतु **2.813 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुरचौन ...... द्वारा दिनांक 07.07.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम कुरचौन** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

दीक्षा जोशी

दीक्षा जोशी
ग्रा. प्रधान—ग्राम पं० कुरचौन
वि०ख०— हवालबाग (अल्मोड़ा)

दिनांक 07.07.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कुरचौन

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
01	चन्द्रमणी काण्डपाल S/o बुद्धिबल्लभ	चन्द्रमणि
02	कृपाकृष्ण काण्डपाल S/o चन्द्रमणि काण्डपाल	[illegible]
03	भैरव दत्त काण्डपाल S/o गुसाईं दत्त	भैरवदत्त
04	रेवाधर जोशी S/o गोविन्द बल्लभ	[illegible]
05	शान्ती प्रकाश S/o चन्द्र राम	S.P.
06	प्रकाश राम S/o जोगा राम	प्रकाश
07	गिरीश काण्डपाल S/o मथुरा दत्त	Girish Kandpal
08	अम्बादत्त काण्डपाल S/o मोती राम	[illegible]
09	तारा दत्त S/o प्रेम बल्लभ	तारा दत्त
10	लीलाधर S/o चन्द्रमणी	L.D. Kandpal

ग्राम प्रधान

दीक्षा जोशी

दीक्षा जोशी
ग्राम प्रधान–ग्राम पं० कुरचौन
वि०ख०– हवालबाग (अल्मोड़ा)

(19)

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस—ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— कफचौन

तहसील व जिला—रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के **विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस—ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0** हेतु **2.813 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़गल रौतेला द्वारा दिनांक 09.07.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम कफचौन** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेमा बिष्ट

(हेमा बिष्ट)
प्रधान
ग्राम पंचायत बडगल रौतेला
वि0ख0-हवालबाग(अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान

दिनांक 09.07.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बड़गल रौतेला

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
01	रवीन्द्र सिंह नेगी पु० जीत सिंह	
02	पूरन सिंह नेगी S/0 राम सिंह	
03	गोतम सिंह S/0 लक्ष्मण सिंह	
04	मोहन सिंह S/0 जीत सिंह	
05	हरीश सिंह S/0 जीत सिंह	
06	मोहनी देवी W/0 केर सिंह	

हेमा बिष्ट
ग्राम प्रधान
(हेमा बिष्ट)
प्रधान
ग्राम पंचायत बड़गल रौतेला
वि0ख0-हवालबाग (अल्मोड़ा)

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– कुरचौन

तहसील व जिला–रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस–ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0 हेतु 2.813 है0 वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुरचौन ...... द्वारा दिनांक 10.07.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम पतलना** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान

दीक्षा जोशी

दीक्षा जोशी
ग्राम प्रधान–ग्राम पं० कुरचौन
वि०ख०– हवालबाग (अल्मोड़ा)

दिनांक 10.07.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत पतलना

क्रम सं०	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
01	रेवाधर जोशी S/o रामदत्त जोशी	रेवाधर जोशी
02	बसन्त बल्लभ जोशी S/o रेवाधर जोशी	बसन्त जोशी
03	राजेन्द्र जोशी S/o प्रेमबल्लभ जोशी	राजेन्द्र जोशी
04	देवकीनन्दन पाठक S/o हरि वल्लभ पाठक	देवकी नन्दन
05	देवेन्द्र पाठक S/o दिनेशचन्द्र पाठक	देवेन्द्र पाठक
06	कैलाश चन्द्र जोशी S/o शिवदत्त जोशी	K.C. Joshi
07	रमेश चन्द्र पाठक S/o जयकृष्ण पाठक	[illegible]

ग्राम प्रधान

दीक्षा जोशी

दीक्षा जोशी
ग्राम प्रधान–ग्राम पं० कुरचौन
वि०ख०– हवालबाग (अल्मोड़ा)

(22A)

परियोजना का नामः—जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस—ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र
ग्राम पंचायत का नाम— ~~[illegible]~~ [illegible]

तहसील व जिला—रानीखेत, अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **अल्मोड़ा** के **विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत धामस—ज्योली मोटर मार्ग का विस्तार कार्य लम्बाई 10.00 कि0मी0** हेतु **2.813 है0** वन भूमि, का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़गल भट्ट द्वारा दिनांक 08.07.2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम तल्ला खोला** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान
[signature]
नंद किशोर आर्या
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत—बड़गलभट्ट
वि०ख०—हवालबाग (अल्मोड़ा)

(22B)

दिनांक 08.07.2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत बड़गल भट्ट

क्रम सं0	ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1)	कृपाल सिंह नेगी S/o जीत सिंह	K S Negi
2)	देव सिंह S/o बहादुर सिंह	[illegible]
3)	हीरा बल्लभ भट्ट S/o हरी दत्त भट्ट	हीराबल्लभ
4)	लीलाधर भट्ट S/o बल्लभ दत्त भट्ट	लीलाधर भट्ट
5)	शंकर दत्त भट्ट S/o नारायण दत्त	शंकर दत्त
6)	महेश चन्द्र भट्ट S/o त्रि[illegible] भट्ट	M.C. Bhatt
7)	मोहन चन्द्र भट्ट S/o रमेश चन्द्र भट्ट	मोहनचन्द्र
8)	हरि दत्त भट्ट S/o भोला दत्त भट्ट	हरिदत्त भट्ट
9)	गिरीश चन्द्र भट्ट S/o लीलामणि भट्ट	Girish Bhatt

ग्राम प्रधान.

Nand.K

नंद किशोर आर्या
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत–बड़गलभट्ट
वि0ख0–हवालबाग (अल्मोड़ा)